प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/11/25	वकील प्रार्थी उप०। [illegible] ने प्रकरण मे सरकार को फोर्मल पक्षकार बताया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 26/11/25 को पेश होवे
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 8 जा0 दी0 पेश कर जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत निवेदन किये गये। प्रकरण में प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व ही खुले न्यायालय निर्णय सुनाया जा चुका है एवं अप्रार्थी को बहस हेतु कई बार खुले न्यायालय आवाज लगायी किन्तु अप्रार्थी सं0 1 एवं उनका कोई प्रतिनिधी बहस हेतु उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर तत्समय ही खुले न्यायालय निर्णय सुनाया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक को पत्रावली बहस हेतु नियत होने की भलीभाति जानकारी भी थी किन्तु अप्रार्थी दौराने बहस अनुपस्थित रहे एवं अप्रार्थी मोत्या बाई को 12.04.2024 से लगातार कई अवसर दिंये जाने के पश्चात भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर दिंनाक 08.10.2025 को अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बन्द कर पत्रावली बहस में नियत की गई थी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिंनाक 08.10.2025 को अपास्त करने का श्रवणाधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोत्या बाई अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा0 मि0 किया गया।